



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2014/ज्येष्ठ 22, 1936

No. 314]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2014/JYAISTHA 22, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2014

सा.का.नि. 398(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 173, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 189 और 191 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और शक्तियां) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (बोर्ड की बैठकें और शक्तियां) संशोधन नियम, 2014 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (बोर्ड की बैठकें और शक्तियां) नियम, 2014 में नियम 6 के स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह इस नियम के अधीन आने वाली सार्वजनिक कंपनियां जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292क के अधीन लेखापरीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित नहीं है, इन नियमों के प्रारंभ अथवा उनके द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से एक वर्ष भीतर, जो भी पूर्वतर हो, अपनी लेखापरीक्षा समिति गठित करेंगी;

परंतु यह और कि इस नियम के अधीन आने वाली सार्वजनिक कंपनियां इन नियमों के प्रारंभ अथवा उनके द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से एक वर्ष भीतर, जो भी पूर्वतर हो, अपनी नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति गठित करेंगी।”

[फा. सं. 1/32/2013-सीएल-V-पार्ट]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 265(अ), तारीख 31.03.2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2014

**G.S.R. 398(E).**—In exercise of the powers conferred under sections 173, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 189 and section 191 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Meetings and Powers of Board) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Meetings and Powers of Board) Amendment Rules, 2014.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Meetings and Powers of Board) Rules, 2014, in rule 6, after the explanation, the following shall be inserted, namely:-

“Provided that public companies covered under this rule which were not required to constitute Audit Committee under section 292A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall constitute their Audit Committee within one year from the commencement of these rules or appointment of independent directors by them, whichever is earlier :

Provided further that public companies covered under this rule shall constitute their Nomination and Remuneration Committee within one year from the commencement of these rules or appointment of independent directors by them, whichever is earlier.”

[F. No. 1/32/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India *vide* No.G.S.R. 265(E), dated 31.03.2014.